7

सहायक निदेशक अभियोजन टोंक 951 27/07/2020

रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय,राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–सं.3(9)(29)स्था / मंत्रा / अभि / 18 / 8104–08 दिनांकः– 20/07/2020

–: आदेश :–

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक सं.3(9)(01)स्था / मंत्रा / अभि / 18 / 4270–4350 दिनांक 23.03.18 द्वारा श्री राजू प्रजापत (ओ.बी.सी.) पुत्र श्री राम प्रसाद प्रजापत को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा वर्ष 2013 में लिपिक ग्रेड–द्वितीय, सयुंक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 उत्तीर्ण करने पर इस विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर अस्थाई रुप से दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण के लिये नियत पारिश्रमिक रुपये 14600 / – प्रतिमाह पर नियुक्ति की गयी थी, जिसकी पालना में इन्होंने दिनांक 28.03.2018 को मध्यान्ह पूर्व अपनी उपस्थिति दी थी।

श्री राजू प्रजापत, कनिष्ठ सहायक द्वारा दिनांक 27.03.2020 को दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि पूर्ण कर ली गई है। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में इनका कार्य सन्तोषजनक रहा है। इनके विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत अथवा विभागीय जॉच विचाराधीन नहीं है।

अतः इनको परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर दिनांक **28-03-2020** से कनिष्ठ सहायक के पद का नियमित वेतन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रंमाक प.15(1) वित्त / नियम / 2017 दिंनाक 30.10.17 एंव संशोधित 9.12.2017 के बिन्दु संख्या 17 के अनुसार शिड्यूल–1 (पार्ट–बी) नियम–5(VI) एंव (VII) के अनुसार पे मेट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमित नियुक्ति की जाकर, न्यूनतम मूल वेतन Rs 20,800- पर वेतन निर्धारित किये जाने तथा नियमानुसार वेतन भत्ते आदि के भुगतान की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(वी.सरवन कुमार)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजस्थान,जयपुर।
3. उप निदेशक अभियोजन अजमेर।
4. सहायक निदेशक अभियोजन टोंक को सेवापुस्तिका संलग्न कर लेख है कि कार्मिक का नियमानुसार वेतन निर्धारण की कार्यवाही कर अवगत करावें।
5. श्री राजू प्रजापत, कनिष्ठ सहायक, द्वारा:– सहा. निदे. अभियोजन टोंक।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर